भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3576

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

भागलपुर में कंपनियां

3576. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार के भागलपुर में पंजीकृत नई निजी और सार्वजनिक कंपनियों/स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या कितनी है;
(ख) इस अवधि के दौरान भागलपुर में कार्यरत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों (जैसे एनटीपीसी कहलगांव आदि) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से आवंटित और व्यय की गई कुल धनराशि कितनी है;
(ग) क्या भागलपुर में स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल आपूर्ति, कौशल विकास को सुगम बनाने और ' भागलपुरी सिल्क' बुनकरों के कल्याण के लिए सीएसआर निधि का उपयोग किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा भागलपुर में कॉर्पोरेट अनुपालन और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या सरकार का भागलपुर में उद्यमियों और स्थानीय स्टार्ट-अप्स की सहायता के लिए 'निदेशक पहचान संख्या' प्रदान करने या कंपनी पंजीकरण सुविधा केंद्र खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भागलपुर में कुल 534 कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	कंपनियों की संख्या
1.	2023-24	164
2.	2024-25	138
3.	2025-26	232
	कुल योग	534

मंत्रालय के एमसीए-21 डेटाबेस में स्टार्ट-अप कंपनियों के आंकड़े नहीं हैं।
(ख) से (घ): सीएसआर कानूनी ढांचे में सीएसआर निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर अनिवार्य कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर से संबंधित सभी डेटा जिसमें राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, कंपनी-वार डेटा शामिल है, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर,

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए भागलपुर में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक के अनुसार है। मंत्रालय लाभार्थी-वार सीएसआर आंकडे केन्द्रीय रूप से नहीं रखता है।

(ङ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने देश भर में कारपोरेट अनुपालन और व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जो भागलपुर की कंपनियों पर भी लागू हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में 2015 और 2017 में संशोधन किए गए हैं ताकि व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके और उद्योग मंडलों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किया जा सके।

ii. तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को गैर-अपराधीकरण करने और इस प्रकार आपराधिक अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पर बोझ को कम करने के लिए 2019 और 2020 में सीए-13 में संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना भी था।

iii.तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन किए गए हैं। छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और कम शुल्क प्रदान करने के लिए "लघु एलएलपी" की एक नई श्रेणी स्थापित की गई थी।

iv.15.00 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

v. भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अनुमेय विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रतिभूतियों को सीधी सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। यह "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देता है और बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षण बढ़ाता है, दक्षता और विकास को प्रोत्साहित करता है, पूंजी का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और निवेशक आधार को व्यापक बनाता है।

vi.फरवरी 2021 में अन्य स्टार्ट-अप और लघु कंपनियों के साथ स्टार्ट-अप्स के विलय की अनुमति देने के लिए फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे का विस्तार किया गया था। सितंबर 2025 में इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनियों के अधिक वर्गों को इस मार्ग को चुनने की अनुमति मिल सके। नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि फास्ट-ट्रैक विलय के लिए "मानित अनुमोदन" आवश्यकता को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

vii.केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) को 2016 में निगमन से संबंधित सेवाओं को तेजी से प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। कंपनी के निगमन के समय तुरंत व्यवसाय शुरू करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक लिंक किए गए प्ररूप के साथ एक ई-प्ररूप एसपीआईसीई+ शुरू किया गया था। इसी तरह, एलएलपी के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए फॉर्म) पेश किया गया था।

viii.फिलिप नामक एलएलपी निगमन प्ररूप को एलएलपी के निगमन के समय पैन/टैन प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

ix.सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना मई 2023 में की गई थी, जो हितधारकों को अपनी कंपनियों और एलएलपी के नाम रजिस्टर से हटाने के लिए परेशानी मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध तरीके से सुविधा प्रदान करता है।

x.केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना फरवरी 2024 में 12 गैर-एसटीपी प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए की गई थी।

xi. कंपनी (दंड का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 को अगस्त 2024 में संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित ई-एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। यह मंच आद्धोपान्त डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें ऑनलाइन नोटिस तैयार करना, सुनवाई, न्यायनिर्णयन आदेश और भुगतान तैयार करना शामिल है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और त्वरित न्यायनिर्णयन संभव होता है।

xii. लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसमें एक लघु कंपनी की सीमा बढ़ाई गई है, जिसकी चुकता पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और जिसका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इसी तरह, छोटे एलएलपी की अवधारणा पेश की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अधीन है

xiii. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12क के तहत कंपनियों में निदेशकों के लिए वार्षिक केवाईसी आवश्यकता को 31 मार्च, 2026 से संशोधित किया गया है। वार्षिक केवाईसी आवश्यकता को हर तीन वर्ष में एक बार सरल केवाईसी सूचना के साथ बदल दिया गया है।

(xiv) शेयरधारकों की भागीदारी बढ़ाने और कंपनियों के लिए आम बैठकों के आयोजन से जुड़ी लागतों को कम करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) के माध्यम से किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति देना;

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3576 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए भागलपुर (बिहार) में सभी कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय				
				(राशि करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या।	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	कला और संस्कृति	0.12	0.31	0.42
2.	शिक्षा	1.47	1.35	1.58
3.	पर्यावरणीय स्थिरता	0.79	0.33	0.57
4.	स्वास्थ्य देखभाल	-	9.43	1.53
5.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	-	-	3.89
6.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	0.08	-	0.40
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.29	0.91	0.77
8.	सुरक्षित पेयजल	-	-	0.43
9.	स्वच्छता	4.11	-	1.34
10.	महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास स्थापित करना	-	-	0.15
11.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.04	-	-
12.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0.04	0.19	0.15
13.	व्यावसायिक कौशल	0.10	0.35	-
14.	महिला सशक्तिकरण	0.01	-	0.00
	कुल	**9.05**	**12.87**	**11.23**